मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4082
19.03.2021 को उत्तर के लिए

वन क्षेत्रों में सड़क निर्माण

4082. श्री अक्षयवर लाल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बफर जोन और संरक्षित वन क्षेत्रों में मौजूदा सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए कोई आदेश जारी किया हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो उक्त सड़कों के पुनर्निर्माण और रखरखाव की प्रक्रिया क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कतरनियाघाट वन्यजीव प्रभाग में विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान करने का है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड संबंधी स्थायी समिति (एससीएनबीडब्ल्यूएल) की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 22.12.2014 को संरक्षित क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़क परियोजनाओं के लिए एक परामर्शिका जारी की है।

परामर्शिका के अनुसार, संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड संबंधी स्थायी समिति (एससीएनबीडब्ल्यूएल) के संदर्भ के बिना भी ऐसे विद्यमान राजमार्गों का पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है, जहां सड़क को चौड़ा करना शामिल न हो।

इसके अलावा, मंत्रालय ने भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देश नामत: वन्यजीव संबंधी रैखिक अवसंरचना के प्रभाव के उपशमन हेतु पारि-अनुकूल उपायों के आधार पर ऐसी परियोजनाओं के लिए वन्यजीव मार्ग योजना को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए निदेश भी जारी किए हैं।

(घ) और (ड.) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कटारनियाघाट वन्यजीव प्रभाग में नई सड़क निर्माण के लिए 193.38 हेक्टेयर की वन भूमि के विपथन के लिए एक प्रस्ताव उपभोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 21.08.2015 को प्रस्तुत किया गया था। परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, उत्तर प्रदेश ने उपभोक्ता अभिकरण से दिनांक 22.08.2015 संबंधी आवश्यक ब्यौरा मांगा है। जब भी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से ऐसे संपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंत्रालय सड़कों के निर्माण सहित गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए प्रस्तावों पर विचार करता है।

******